



भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय / MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड) / (RAILWAY BOARD)



सं. 2025/टीजी-II/बीओवी/07/बीओसी नई दिल्ली, दिनांक: .08.2025

श्री राम सुरेश,
 संयोजक, नेशनल पोर्टर फ्रंट,
 कुली प्रतीक्षालय, मंडल कार्यालय के निकट,
 'सी.टी.आई.' उत्तर रेलवे चारबाग, लखनऊ,
 उत्तर प्रदेश-226004.
 ई-मेल: ramsureshyadav645@gmail.com

विषय: बीओवी (बैटरी चालित वाहन) का विनियमन, रेलवे नीतियों का उचित प्रवर्तन, आजीविका संरक्षण और अन्य मुद्दों सहित सहायकों (लाइसेंसधारी पोर्टरों/कुलियों) की मांगों/शिकायतों।

महोदय,

अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रेलवे बोर्ड को संबोधित दिनांक 24.07.2025 के आपके अभ्यावेदन सं. 57/एनआर/एलकेओ/यूपी के संदर्भ में, सहायकों के सुझावों/शिकायतों के संबंध में, अधोहस्ताक्षरी को एक विस्तृत नोट संलग्न करने का निर्देश दिया गया है।

भवदीय,

(अविनाश शर्मा)
संयुक्त निदेशक/यातायात वाणिज्य (सामान्य)-II
कृते प्रधान निदेशक/यात्री विपणन
रेलवे बोर्ड

संलग्नक: यथोक्त

कार्यालय: कमरा नं. 445, चतुर्थ तल, रेल भवन, रायसीना रोड, नई दिल्ली-110001.
 फोन नं. +91-11-23044104, फैक्स: +91-11-23072028, ई-मेल: avinash.sharma1@gov.in

सं. 2025/टीजी-II/बीओवी/07/बीओसी

नोट

मांगें	टिप्पणियां
रोजगार संबंधित: <ul style="list-style-type: none"> वर्ष 2008 के समान नियमित रोजगार प्रदान किया जाए। 	अभी ऐसा कोई नियम नहीं है। रेलवे में भर्ती केवल रेल भर्ती बोर्ड/रेल भर्ती सेल के माध्यम से होती है।
ट्रॉली सेवाओं से संबंधित: <ul style="list-style-type: none"> ट्रॉली सेवाओं को बंद किया जाए। प्रयागराज स्टेशन पर आउटसोर्स की गई ट्रॉली/सहायक सेवाओं को बंद किया जाए। 	ट्रॉली सेवाओं का उद्देश्य मौजूदा सहायक सेवाओं का प्रतिस्थापन नहीं है, बल्कि यात्री सुविधा बढ़ाने के लिए एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में कार्य करना है।
बैटरी चालित वाहन (बीओवी) से संबंधित: <ul style="list-style-type: none"> यात्रियों को बीओवी पर सामान ले जाने से रोका जाए। 	भारतीय रेल, विशेष रूप से व्यस्त स्टेशनों पर, यात्रियों की सहायता के लिए सहायकों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना करता है। बीओवी, ट्रॉली, एस्केलेटर जैसी आधुनिकीकरण पहलों का उद्देश्य यात्री सुविधाओं को, विशेष रूप से दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों और चिकित्सकीय रूप से अक्षम यात्रियों के लिए, बेहतर बनाना है। बीओवी और अन्य प्रणालियों का उपयोग सहायकों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के स्थान पर न करके पूरक के रूप में किया जाता है।
<ul style="list-style-type: none"> रेलवे स्टेशनों पर बीओवी के लिए समर्पित स्टैंड प्रदान किया जाए। किसी भी समय प्रत्येक प्लेटफॉर्म पर केवल एक बीओवी तक बीओवी परिचालन को सीमित किया जाए। नियमों के उल्लंघन पर बीओवी चालकों के विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई की जाए। 	सभी क्षेत्रीय रेलों को बीओवी चालकों के योग्यता प्रमाणन के संबंध में "क्या करें और क्या न करें" ("Do's and Don'ts") की एक व्यापक सूची के साथ अनुदेश जारी किए गए हैं, जिनका दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। ये दिशा-निर्देश विशेष रूप से प्रमुख परिचालनिक मुद्दों जैसे कि तेज गति, ओवरलोडिंग, केवल निर्दिष्ट स्थानों पर पार्किंग तथा प्लेटफॉर्म पर भीड़ के स्तर के आधार पर बीओवी की आवाजाही को प्रतिबंधित करना इत्यादि पर ध्यान दिलाते हैं। इन निर्देशों का उद्देश्य बीओवी का सुरक्षित और अनुशासित संचालन सुनिश्चित करना तथा यात्रियों की सुचारु आवाजाही बनाए रखना है।
